न्यायालय अनुमंडल पदा0, सिमडेगा

फारम सं० ५६५ ।

[बोर्ड के आदेश सं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

10

9

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

(देखें नियम १२० ...)

सिविल ..... विभाग

SAR 20/14-15 ..... रजिस्टर सं०

शशि लकड़ा वो आशिमा लकड़ा सिमडेगा बनाम मो० रिजवान

..... वर्ष ..... के अधीन

..... अभिलेखागार में प्राप्त होने की तारीख .....

कागज का वर्णन	किस तारीख को ... गया	पन्नों की संख्या	... या पृष्ठ	... की श्रेणी	अभ्युक्ति
२	३	४	५	६	७

14.2.18
21-11-16
25.3.23
21.3.18
19.12.16
16.1.17
25.4.18
11.11.2021
6.6.18
13.2.17
9.12
18.7
16.3.17
13.1.2021
12.9.18
3.4.17
31.3.2021
5.12.18
26.4.17
12.05.21
29.5.17
18.8.2021
16.1.19
28.6.17
20.10.21
20.2.19
2.8.17
18.11.21
11.2.22
22.5.19
28.8.17
10.7.19
11.10.17
4.9.19
22.11.17
6.11.19
03.01.18
5.2.20

Scanned with CamScanner

आदेश-पत्र

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश फलक--ता0.................................से .... श्रीश लाकड़ा वगै0 तक
जिला-सिमडेगा, संख्या SAR 20/2014-15
केस का प्रकार-- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम रिजवान

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
28-6-2014	श्री श्रीश लाकड़ा पिता सिमोन लाकड़ा पिता स्व0 आशित लाकड़ा पिता मुकुट लाकड़ा साकिन धोंचो टोली सिमडेगा थाना सिमडेगा जिला-सिमडेगा ने आवेदन-पत्र दिया है कि निम्नलिखित जंमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी रिजवान पिता —— साकिन-- शाहु मुहल्ला थाना सिमडेगा जिला-सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। ग्राम: सिमडेगा बाजार; खाता सं0: 75; प्लॉट सं0: 184; रकवा: 31½'×30' उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 5-7-2014 को उपस्थापित करें। (हस्ताक्षर) 2/7/16 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	30.9.16 24.10.16 21.11.16

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 20/2014–15
दिनांक..........................

शशि लकड़ा वगै0
बनाम
मो0 रिजवान

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही अंचल अधिकारी, सिमडेगा के पत्रांक–376(ii), दिनांक 21.06.2014 द्वारा प्रारंभ किया गया। विपक्षी मो0 रिजवान, साकिन–साहु मुहल्ला नीचे बाजार, थाना–सिमडेगा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–20/2014–15 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
सिमडेगा	75	184	31'½X30

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, सिमडेगा को इस न्यायालय के पत्रांक 155/विधि, दिनांक 04.07.2014 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 14.02.2018 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–20/2014–15 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2022.10.13 18:02:27 +05:30
Location: 192.168.202.80

Scanned with CamScanner